न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 10/2016 अपील

1. सांवरलाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी बडला तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा उचित मूल्य दुकानदार सेन्टर मोतीपुर तहसील आसीन्द –अपीलार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी भीलवाडा – रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भीलवाडा प्रकरण सं. 64/2016 दिनांक 24.02.2016 अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित –
1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विभागीय प्रतिनिधि – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.03.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण सं. 64/2016 दिनांक 24.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को ग्राम मोतीपुर तहसील आसीन्द के लिए उचित मूल्य दुकानदार के रूप में लाईसेन्स दिया जाकर अधिकृत किया गया है, जिसका प्राधिकार पत्र सं. 767/2003 जारी किया गया है। प्रार्थी नियमित तौर तथा नियमों के तहत राज्य सरकार की नितियों एवं निर्देशों के तहत वस्तुओं के वितरण का कार्य करता आ रहा है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता एवं अवैधता प्रार्थी अपीलाण्ट ने नही की हैं, बावजूद इसके प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को रेस्पोडेण्ट के द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2016 को बिना किसी उचित आधार के एवं बिना किसी वैध जांच पड़ताल के अग्रिम आदेश तक निलम्बित किये जाने का आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधि विरूद्व होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट में महज 21 लीटर केरोसिन का इन्द्राज वितरण रजिस्टर में नही किया जाना वर्णित किया गया हैं। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा किये जा रहे कार्य एवं वितरण प्रकिया से सम्पूर्ण क्षेत्र के व्यक्ति पूर्णरूप से संतुष्ट हैं। आदेश जैर बहस में किसी प्रकार का कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, किसी प्रकार की अनियमितता रही एवं उसका विधिक तौर क्या प्रभाव है ? उसका आदेश में कुछ भी उल्लेख नही किया गया है। महज आर्बीट्रेरी तौर आदेश बिना किसी आधार के पारित कर निलम्बन आदेश दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी अपीलान्ट के उचित मूल्य

की दुकान बाबत् जारी प्राधिकार पत्र सं. 767/2003 को निलम्बित किये जाने बाबत् जारी आदेश दिनांक 24.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.02.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गये एवं अपीलाधीन संबंधी रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुर तहसील आसीन्द के लिए उचित मूल्य दुकानदार के रूप में लाईसेन्स दिया जाकर अधिकृत किया गया है, जिसका प्राधिकार पत्र सं. 767/2003 जारी किया गया है। प्रार्थी नियमित तौर तथा नियमों के तहत राज्य सरकार की नितियों एवं निर्देशों के तहत वस्तुओं के वितरण का कार्य करता आ रहा है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता एवं अवैधता प्रार्थी अपीलाण्ट ने नही की हैं, बावजूद इसके प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को रेस्पोडेण्ट के द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2016 को बिना किसी उचित आधार के एवं बिना किसी वैध जांच पड़ताल के अग्रिम आदेश तक निलम्बित किये जाने का आदेश पारित किया जो पूर्णतया विधि विरूद्व होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट में महज 21 लीटर केरोसिन का इन्द्राज वितरण रजिस्टर में नही किया जाना वर्णित किया गया हैं। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा किये जा रहे कार्य एवं वितरण प्रकिया से सम्पूर्ण क्षैत्र के व्यक्ति पूर्णरूप से संतुष्ट हैं। निवेदन है कि प्रार्थी अपीलान्ट के उचित मूल्य की दुकान बाबत् जारी प्राधिकार पत्र सं. 767/2003 को निलम्बित किये जाने बाबत् जारी आदेश दिनांक 24.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में बताया कि प्रर्वतन अधिकारी आसीन्द रवि जाधव से उचित मूल्य दुकानदार सांवरलाल जाट के विरूद्व प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट में प्रवर्तन अधिकारी आसीन्द रवि जाधव ने बताया गया कि शिकायत की जांच दिनांक 02.02.2016 को मौके पर जाकर की गयी। मौके पर उपस्थित 45 उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि डीलर सांवरलाल जाट सेन्टर मोतीपुर द्वारा उन्हें गेहूं, केरोसीन, चीनी नही दी जाती है। उक्त 45 उपभोक्ताओं के राशनकार्डों की छायाप्रति वास्ते जांच ली गयी। राशनकार्डो के इन्द्राजों का मिलान डीलर द्वारा प्रस्तुत माह नवम्बर 15 से जनवरी 16 के वितरण रजिस्टर से मिलान करने पर गेहूं देना नही पाया गया। वितरण रजिस्टर में गेहूं देने का इन्द्राज नही पाया गया है। केरोसीन वितरण का इन्द्राज राशनकार्ड में नही पाया गया। 21 लीटर केरोसीन का इन्द्राज वितरण रजिस्टर में पाया गया, किन्तु राशनकार्ड में इन्द्राज नही पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 21 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण दुकान का संचालन बडला स्थित स्वयं के मकान मे करना पाया गया, जबकि प्राधिकार पत्र में सेन्टर मोतीपुर को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार डीलर सांवरलाल जाट द्वारा अनियमितता करना पाया गया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,11,5,15,17(51) का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जाये।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में

उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात परीक्षण अनुसार समस्त ग्रामवासी बडला पंचायत मोतीपुर तहसील आसीन्द की शिकायत आधार पर की गयी जांच रिपोर्ट में प्रवर्तन अधिकारी आसीन्द रवि जाधव ने अंकित कि शिकायत की जांच दिनांक 02.02.2016 को मौके पर जाकर की गयी। मौके पर उपस्थित 45 उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि डीलर सांवरलाल जाट सेन्टर मोतीपुर द्वारा उन्हें गेहूं, केरोसीन, चीनी नही दी जाती है। उक्त 45 उपभोक्ताओं के राशनकार्डों की छायाप्रति वास्ते जांच ली गयी। राशनकार्डों के इन्द्राजों का मिलान डीलर द्वारा प्रस्तुत माह नवम्बर 15 से जनवरी 16 के वितरण रजिस्टर से मिलान करने पर गेहूं देना नही पाया गया। वितरण रजिस्टर में गेहूं देने का इन्द्राज नही पाया गया है। केरोसीन वितरण का इन्द्राज राशनकार्ड में नही पाया गया। 21 लीटर केरोसीन का इन्द्राज वितरण रजिस्टर में पाया गया, किन्तु राशनकार्ड में इन्द्राज नही पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 21 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करना पाया गया। वक्त निरीक्षण दुकान का संचालन बडला स्थित स्वयं के मकान मे करना पाया गया, जबकि प्राधिकार पत्र में सेन्टर मोतीपुर को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार डीलर सांवरलाल जाट द्वारा अनियमितता करना पाया गया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,11,5,15,17(51) का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,2,11,5,15,17(51) का स्पष्ट उल्लघंन किये जाने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण सं. 64/2016 आदेश दिनांक 24.02.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा